नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

पत्रांक-नौएडा/ग्रु0हा0/2019/
दिनांक दिसम्बर, 2019

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 को पारित आदेश द्वारा प्रदेश सरकार से होम बायर्स के पक्ष में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं एन0सी0आर0 क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स स्कीम में बिल्डर्स/डवलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड आवंटियों को कब्जा प्रदान न किए जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-3804/77-4-19-142एन/08 दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से शून्यकाल एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स स्कीम के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप शून्यकाल एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए के लिए दिनांक 04.02.2020 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से नौएडा प्राधिकरण कार्यालय में लिखित रूप से अथवा E-mail:grouphousing@noidaauthorityonline.com पर साक्ष्य सहित आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

(राजेश कुमार)
विशेष कार्याधिकारी
ग्रुप हाउसिंग